



**भारतीय रिज़र्व बैंक**  
**RESERVE BANK OF INDIA**

वेबसाइट : [www.rbi.org.in/hindi](http://www.rbi.org.in/hindi)  
Website : [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)  
ई-मेल/email : [helpdoc@rbi.org.in](mailto:helpdoc@rbi.org.in)



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

22 अप्रैल 2026

**आरबीआई ने पूर्वदत्त भुगतान उपकरण (पीपीआई), 2026 संबंधी मास्टर निदेश का मसौदा जारी किया**

लेन-देन की सुरक्षा को बढ़ाते हुए पूर्वदत्त भुगतान लिखत (पीपीआई) के दीर्घकालिक विकास हेतु अनुकूल ढांचा विकसित करने के अपने निरंतर प्रयासों के अंतर्गत, रिज़र्व बैंक द्वारा पीपीआई संबंधी दिशानिर्देशों की एक व्यापक समीक्षा की गई है। तदनुसार, आरबीआई ने आज पूर्वदत्त भुगतान लिखत संबंधी मास्टर निदेश का मसौदा जारी किया है।

विनियमित संस्थाओं तथा जनसाधारण / अन्य हितधारकों द्वारा निदेश के मसौदे पर टिप्पणियाँ/प्रतिक्रियाएँ 22 मई 2026 तक वेबसाइट पर 'कनेक्ट 2 रेगुलेट' खंड के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती हैं, जिसके लिए प्रत्येक दस्तावेज के साथ उपलब्ध हाइपरलिंक का उपयोग करना होगा, जो उस पृष्ठ पर उपलब्ध है जहाँ दस्तावेज़ होस्ट किए गए हैं।

प्रेस प्रकाशनी: 2026-2027/124

(ब्रिज राज)

मुख्य महाप्रबंधक